न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 368 / 2022

आरसीएमएस नं. 2022 / 00318

सोहन सिह पुत्र श्री बख्तावर सिंह उम्र 53 वर्ष जाति जटसिख निवासी ढाणी चक 4 एसटीजी तहसील व जिला हनुमानगढ। ––अपीलार्थी

बनाम

1. कुलविन्द्र कौर पत्नी श्री गुरजण्टसिंह जाति जटसिख निवासी वार्ड नं. 1 चक 4 एसटीजी मक्कासर (ढाणी बलवीर सिह वाली) तहसील व जिला हनुमानगढ जरिये मुखत्यारआम गुरजंटसिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह, जटसिख निवासी वार्ड नं. 1 चक 4 एसटीजी मक्कासर (ढाणी बलवीर सिह वाली) तहसील व जिला हनुमानगढ।
2. गुरलाल सिंह सुपुत्र श्री जोगेन्द्र सिह जटसिख निवासी वार्ड नं. 1 चक 4 एसटीजी मक्कासर (ढाणी बलवीर सिह वाली) तहसील व जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट / प्रार्थीगण

3. जवाहर सिह पुत्र श्री नक्षत्र सिंह जाति जटसिख निवासी चक 4 एसटीजी ढाणी बलवीर सिह वाली, पो0 ऑ0 मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।
4. राजो देवी पत्नी श्री दलीप सिंह जाति जाट निवासी मक्कासर, तहसील व जिला हनुमानगढ।
5. मोहन लाल पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।
6. बलविन्द्र सिंह उर्फ बलवन्त कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।
7. रचना पुत्री श्री अमर सिंह जाति जाट निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।
8. गुरचरण सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी मक्कासर तहसील व जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

9. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ।

-- रेस्पोडेंटस

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ, दिनांक 10.10.2022
प्रकरण संख्या 137/2021, अनवान कुलविन्द्र कौर बनाम सोहन सिह आदि

उपस्थितिः–
श्री राजेश दीपराय अभिभाषक अपीलाण्ट
श्री मनीष शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1, 2

निर्णय दिनांक 24.01.2023

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 'ए' के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि दलीपसिंह, बलवीरसिह व जोगेन्द्रसिह व रामसिंह की संयुक्त खाता में चक नं. 4 एसटीजी व 6 एसटीजी में संयुक्त कृषि भूमि थी, जिसका बंटवारानामा दिनांक 25.01.1994 को हो गया था और उसी बंटवारानामा के अनुसार भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त कर लिया था। प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि जो सभी फरीकेन के नाम दर्ज कागजात पटवार माल है। राजीनामा विभाजन तहरीर व तमील हुआ उसमें रास्ता की बाबत शर्त की गई थी जो इस प्रकार है कि "यह कि उक्त विभाजन के आधार पर हम फरीकेन ने चक नं. 4 एसटीजी पत्थर नम्बर 96/272 के किला नं. 1, 10, में 2–2 बिस्वा पूर्वी दिशा में उत्तर दक्षिण में तथा किला नं. 11 में उत्तरी तरफ पूर्व पश्चिम व इसी किला में पश्चिम दिशा में उत्तरी दक्षिण गली छोड़ी गई है, जिसका हम चारों फरीकेन उपयोग व उपभोग कर सकेंगे। इन्य कोई भी इसमें दखलन्दाजी नहीं कर सकेगा। जोगेन्द्र सिंह फरीक दोयम की 2 बिस्वा भूमि गली में ज्यादा आई उस 2 बिस्वा भूमि की एवज में फरीक अव्वल दलीपसिह 2 बिस्वा भूमि जोगेन्द्रसिंह दोयम

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

की भूमि साथ चिपती हुई भूमि फरीक अव्वल दलीपसिंह अपनी भूमि में से पत्थर नम्बर 96/272 के किला नं. 20 में से दक्षिण पश्चिम कोने में 3 करम चौड़ा चौड़ा व 15 करम लम्बा व किला नं. 21 में उत्तरी पश्चिम कोने में 3 करम चोड़ा व 15 करम लम्बा भूमि का टुकड़ा जोगेन्द्रसिंह फरीक दोयम के साथ चिपते हुए रकबे को देने के लिए पाबन्द रहेगा और उसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में फरीकेन दोयम जोगेन्द्रसिंह अपने नाम इन्तकाल व अमलदरामद करवा सकेगा।''

2. विभाजन के अनुसार एवं आपसी सहमति से आवागमन हेतु रास्ता के लिए छोड़ी गई भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण निरन्तर आवागमन कर रहे है और इससे पूर्व उनके बुर्जुगान आवागमन करते रहे है और रासता निरन्तर चल रहा है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में भी रास्ता चालू होना बतलाया है एवं रिकार्ड में स्वीकृत नही होना बतलाया है। अप्रार्थी सं0 1 आवागमन में बाधा उत्पन्न करने पर आमादा है। यदि आवागमन हेतु रास्ता में बाधा कारित कर दी तो प्रार्थीगण अपने खेतों व घरों में नहीं जा सकेंगे। प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णितानुसार रास्ता को रिकार्ड में मौके पर मुमकिन दर्ज एवं स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा।

3. अप्रार्थी सं0 1 ने काउण्टर क्लेम पेश किया और राजीनामा के तथ्यों को स्वीकार किया। और प्रश्गनत गली काश्त के प्रयोजन हेतु नही छोड़ी गई होना बताया एवं अप्रार्थी सं0 1 की भूमि के लिए कोई रास्ता नही होने का कथन करते हुए अप्रार्थी सं 1 गुरजण्टसिंह की भूमि चक 6 एसटीजी के खात सं0 48/44 के पत्थर नं. 95/272 मुरब्बा नं. 79 किला नं. 15 के दक्षिणी सिरा पर पूर्व से पश्चिम 2–2 बिस्वा अर्थात 0.025 है0 व किला नं. 14 के दक्षिणी पूर्वी कोना पर 0.003 है0 रास्ता स्वीकृत न करने का अनुरोध किया। रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने काउण्टर क्लेम का जवाब पेश करते हुए कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 ने तथ्यों को छुपाया है उसकी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता है। खाता सं0 48 प. नं. 92/272 के किला नं. 15 में से अप्रार्थी के लिए कभी कोई रास्ता नहीं रहा और ना ही इस किला नं. 15 में रास्ता दिया जा सकता है। जिसमें पशुओं के लिए तूड़ी के कमरे, स्नानघर, शौचालय एवं कमरों का निर्माण किया हुआ है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

4. विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया एवं काउण्टर क्लेम को खारिज किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश कतई गलत, विधि विरूद्ध एकपक्षीय, एवं अनुचित व मननामा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। रेस्पोडेण्ट सं0 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान कातश्कारी (सरकारी) नियम 68 में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत नही किया गया था तथा ना ही हस्तगत मामला में अत्यांतिक आवश्यकता थी व ना ही रेस्पेडेण्ट संख्या 1 व 2 को आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक माग उपलब्ध होने की स्थिति थी फिर भी अधीनस्थ न्यायलाय ने बिना किसी विवेचन के व बिना बहस सुने प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर कानूनी भूल की है। रेसपोडेण्ट सं0 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र धारा 251–'ए' राजस्थान कातश्कारी अधिनियम के परीधी में नहीं था। धारा 251–'ए' में रास्ता उसी स्थिति में स्वीकार किया जा सकता है जब किसी भी खतोदारक को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु वैकल्पिक मार्ग ना हो। हस्तगत मामला में रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 का अपने प्रार्थना–पत्र में यह अभिवचन ही नहीं था कि उसे आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध ना हो। रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 द्वारा याचित अनुतोष द्वारा 88 आरटीएक्ट के अन्तर्गत बाद पूर्ण विचारण ही कानूनन दिया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय ने इस स्थित को कतई गलत रूप से नजर अंदाज किया है। तहसीलदार की रिपोर्ट कतई एकपक्षीय थी तथा भू–अभिलख निरीक्षण व पटवार हल्का ने रिपोर्ट तैयार करते समय ना तो अपीलाण्ट को सूचित किया व ना ही अपीलाण्ट की उपस्थिति में कोई जांच की। अपीलाण्ट की सुदृढ जवाबदेही के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलण्ट को अथवा उसके अधिवक्तर को बहस करने का मौका ही नही दिया। दिनांक 07.10.2022 को अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.09.2022 पर बहस सुनी गई थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

अधिवक्ता के खाली आदेशिका में हस्ताक्षर करवाये थे फिर भी अधीनस्थ न्यायलाय ने कतई गलत, मनमाना व विधि विरूद्ध रूप से अपीलाण्ट के अधिवक्ता के बहस छोड़कर चले जाने के तथ्य अंकित कर आक्षेपित आदेश एकपक्षीय रूप से अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.09.2022 पर कोई निर्णय किये बिना पारित कर दिया। यह बात संभव ही नहीं हो कि कोई अधिवक्ता बहस बीच में छोड़कर जाये व आदेशि में अपने हस्ताक्षर कर दे। अधीनस्थ न्यायलाय ने कतई मनमाना रूप से मिथ्या अंकन कर रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया है और तो और अपीलाण्ट को रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत कथित लिखित बहस का भी जवाब प्रस्तु करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के प्रतिकूल है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायलाय का निर्णय निरस्त किया जावे।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्टान एक ही परिवार के सदस्य हैं। जिनके बुजुर्गान के नाम से संयुक्त कृषि भूमि चक 4 व 6 एसटीजी में थी। जिसका घरू बंटवारा करीब 50 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से कर लिया गया और भूमि में आवागमन हेतु रास्ता का उपयोग व उपभोग भी संयुक्त रूप से करते आ रहे थे। संयुक्त कृषि भूमि बाबत आपस में घरू बंटवारा दिनांक 25.01.1994 को एक दस्तावेज राजीनामा व रूबरू गवाहान तहरीर व तकमील किया जाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाया गया। पूर्व से चले रहे रास्ता की वज में बाबत दस्तावेज राजीनामा में निम्न शर्त तय की गई "यह कि उक्त विभाजन के आधार पर हम फरीकेन ने चक नं. 4 एसटीजी पत्थर नम्बर 96/272 के किला नं. 1, 10, में 2–2 बिस्वा पूर्वी दिशा में उत्तर दक्षिण में तथा किला नं. 11 में उत्तरी तरफ पूर्व पश्चिम व इसी किला में पश्चिम दिशा में उत्तरी दक्षिण गली छोड़ी गई है, जिसका हम चारों फरीकेन उपयोग व उपभोग कर सकेंगे। इन्य कोई भी इसमें दखलन्दाजी नहीं कर सकेगा। जोगेन्द्र सिंह फरीक दोयम की 2 बिस्वा भूमि गली में ज्यादा आई उस 2 बिस्वा भूमि की एवज में फरीक अव्वल दलीपसिह 2 बिस्वा भूमि जोगेन्द्रसिंह दोयम की भूमि साथ

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

चिपती हुई भूमि फरीक अव्वल दलीपसिंह अपनी भूमि में से पत्थर नम्बर 96/272 के किला नं. 20 में से दक्षिण पश्चिम कोने में 3 करम चौड़ा चौड़ा व 15 करम लम्बा व किला नं. 21 में उत्तरी पश्चिम कोने में 3 करम चोड़ा व 15 करम लम्बा भूमि का टुगड़ा जोगेन्द्रसिंह फरीक दोयम के साथ चिपते हुए रकबे को देने के लिए पाबन्द रहेगा और उसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में फरीकेन दोयम जोगेन्द्रसिंह अपने नाम इन्तकाल व अमलदरामद करवा सकेगा।'' जब अपीलाण्ट ने उक्त रास्ता के आवागमन में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी तब रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 की और से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 –'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया एवं रास्ता की बाबत भौतिक रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व हनुमानगढ से तलब की गई। तहसीलदार राजस्व ने भू अभिलेख निरीक्षक से रिपोर्ट तलब कर अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जिसमें मौका पर रास्ता चालू होने की रिपोर्ट की गई है। अपीलाण्ट ने काउण्टर क्लेम में प्रश्नगत रास्ता चालू होने व पक्षकारान द्वारा आवागमन कर रहे होने का तथ्य स्वीकार किया है। अपीलाण्ट ने जो रास्ता स्वीकृत करने का काउंटर क्लेम पेश किया है जबकि अपीलाण्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इसके अलावा अपीलाण्ट जो रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है वह इस प्रकरण में पक्षकार ही नही है। इसके अलावा अपीलाण्ट ने कभी भी उक्त जगह में आवागमन नहीं किया और ना ही वहां से रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है क्यों कि वहां विभिन्न निर्माण किये हुए हैं। तहसीलदार की रिपोर्ट में भी अपीलाण्ट को अन्यत्र रास्ता उपलब होना बताया गया है। अपीलांट ने ये कहीं भी नही बताया है कि रेस्पोडेण्ट के पास आवागमन हेतु कौनसा रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट के अधिवक्ता ने पूर्ण प्रकरण के तथ्यों को बतलाते हुए बहस की गई इसके बाद आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये गये ह। इसके बाद जब अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलांट ने कुछ जानकारी चाही तो वकील अपीलांट उसका स्पष्टीकरण दिये बिना ही चल गये एवं माननीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर किया है। अपीलांट को अपने काउण्टर क्लेम में चाहे गये रास्ता की आवश्यकता है तो अलग से सम्बन्धित व्यक्ति

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र. है। धारा 251–'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय के अन्तर्गत चाहे और स्वीकृत रासता को रिकार्ड पर दर्ज किया जा सकता है तो इसके विषये में निवेदन है कि धारा 251–'ए' आरटीएक्ट में यह कही भी अंकित नही कि ऐसे रास्ता का रिकार्ड में अंकन नही किया जा सकता। इस संबंध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय आरआरटी 2017 (1) पेज 423 का न्यायिक दृष्टान्त पेश है।

8. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9. बहस में आये तथ्यों के अनुसार प्रार्थीगण/रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 द्वारा चाहा गया रास्ता पारिवारिक समझौता दिनांक 24.01.1994 के अनुसार छोड़ा गया था। तहसीलदार हनुमानगढ की रिपोर्ट के अनुसार वह रास्ता चालू है उसे मात्र रिकार्ड में ही गैरमुमकिन अंकन करवाना चाहता है। अपीलाण्ट द्वारा चाहा गया रास्ता किला नं. 14, 15 में चालू नहीं हे और वहां पर मकानात निर्माण किये हुए हैं जो प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत फोटो से स्पष्ट होता है। अपीलाण्ट ने चक नं. 6 एसटी जी प. नं. 95/272 मुरब्बा नं. 79 किला नं. 14, 15 में रास्ता की मांग की गई है वह भूमि गुरजण्टसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिह के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है जो इस प्रकरण में पक्षकार ही नही है और ना ही उसे पक्षकार बनाया है। इसके अतिरिक्त भू अभिलेख निरीक्षण की रिपोर्ट में भी यह अंकित है कि अप्रार्थी सं0 1 को रास्ता उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अपीलाण्ट का काउण्टर क्लेम पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया गया है एवं रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 के लिए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है वह विधि सम्मत है। जहां तक यह बिन्दू कि धारा 251–'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत चाहे और स्वीकृत रास्ता को रिकार्ड पर दर्ज किया जा सकता है तो इसके विषय में रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आरआरटी 2017 (1) पेज 423 में प्रतिपादित किया गया है कि यदि रास्ता पूर्व में कोई चल रहा हो तो उसे राजस्व रिकार्ड में अंकन करने की अधिकारिता धारा 251–'ए' के अन्तर्गत ही की जायेगी ना कि खाता विभाजन अथवा घोषणा का वाद करके अनुतोष प्राप्त किया जायेगा। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

आलोक में भी अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट को अपने काउण्टर क्लेम में चाहे गये रास्ता की आवश्यकता है तो अलग से सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र. है।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 10.10.2022 यथावत रखा जाता है। अपीलांट को अपने काउण्टर क्लेम में चाहे गये रास्ता की आवश्यकता है तो अलग से सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र. है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.01.23 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

24/01/23

(राजस्व अपील प्राधिकारी)
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़